निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ 1948 (श0)

(सं0 पटना 641) पटना, शुक्रवार, 19 जून 2026

सं0सं0–ल0ज0सं0/नि0प्र0/आरोप–06/25–3910

लघु जल संसाधन विभाग

संकल्प

15 जून 2026

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री कुमार मुकेश (आई0डी0-5182) ने जबकि वे कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, कैमूर, मोहनियां में पदस्थापित थे, उक्त पदस्थापन अवधि के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-639 दिनांक-16.03.2006 का अनुपालन नहीं करते हुए श्री शिवपूजन सिंह यादव, दैनिक वेतनभोगी कर्मी को लगातार सेवा में बनाये रखने एवं उन्हें पारिश्रमिक भुगतान करने संबंधी अनियमितता बरती है, जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

2. अतएव बिहार राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि श्री मुकेश के विरूद्ध अनुबंध में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही चलायी जाय। इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के लिए मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन में जाँच पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु श्री ध्रुव नारायण, अधीक्षण अभियंता(मु0), योजना एवं स्थापना, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री मुकेश से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में जैसा कि जाँच पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष उपस्थित हों एवं अपने बचाव का लिखित अभिकथन उनके समक्ष प्रस्तुत करें ।

5. अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव में मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. इस कार्यवाही की प्रत्येक सुनवाई की तिथि को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी विभागीय प्रतिनिधि के रूप में जाँच पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित रहेंगे ।

आदेशः- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में प्रकाशित की जाय एवं अनुबंध की प्रति के साथ**

(i) मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार(जाँच पदाधिकारी),

(ii) श्री ध्रुव नारायण, अधीक्षण अभियंता(मु0), योजना एवं स्थापना, लघु जल संसाधन विभाग, पटना (प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी),

(iii) श्री कुमार मुकेश, अधीक्षण अभियंता(कार्यकारी प्रभार), लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संगीता सिंह,
सरकार के अपर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) **641-571+10**-डी०टी०पी०।
Website: https://egazette.bihar.gov.in